

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 238/2022

निर्णय दिनांक : 26.10.2023

1. सीताराम पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द
2. रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द
3. रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द
4. कैलाशचन्द पुत्र मंगलचन्द
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादी केवाद में दिनांक 28.12.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का कब्जे काश्त एवं बाई मिट्स एण्ड बाउड्स एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर न्यायालय में दिनांक 06.01.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमाक भु0अ0/2023/डिक्री/1807 दिनांक 21.02.2023 के संलग्न कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने आदेशिका दिनांक 06.10.2023 पर यह अंकित कर सहमति दी कि यदि कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार अंतिम डिक्री पारित की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 222 के खसरा नम्बर 696 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.53 हैक्टेयर का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	696	0.99	बारानी 2	कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5.
	698	0.30	बारानी 2	राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5.
	699	0.36	चाही 2 जाव 2	रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5.
	701	0.08	बारानी 2	रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5.
	703	0.05	बारानी 2	सीताराम पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5 जाति
	704	0.33	चाही 2 जाव 2	कुम्हार सा. देह खातेदार
	706	0.23	चाही 2 जाव 2	
	708	0.48	चाही 2 जाव 2	
	709	0.53	चाही 2 जाव 2	
कुल किता	9	3.35		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज					
क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित ख.न.	प्रस्तावित रकबा	किस्म	नक्शे में रंग
1.	कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	699 मि. 703 मि. 704 मि. 706 मि.	0.0875 0.04 0.29 0.23	चाही 2 जाव 2 बारानी 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2	
		किता 4	0.6475		
2.	राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	696 मि. 698 मि. 699 मि.	0.49 0.13 0.0275	बारानी 2 बारानी 2 चाही 2 जाव 2	
		किता 3	0.6475		
3.	रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	699 मि. 704 मि. 701 मि. 708 मि.	0.1250 0.02 0.0325 0.47	चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 बारानी 2 चाही 2 जाव 2	
		किता 4	0.6475		
4.	रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	701 मि. 699 मि. 709 मि. 709 मि.	0.0275 0.12 0.35 0.15		
		किता 4	0.6475		
5.	सीताराम पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	696 मि. 698 मि.	0.50 0.17	बारानी 2 बारानी 2	
		किता 2	0.67		
6.	कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, जाति कुम्हार सा. देह	709 मि. 708 मि. 704 मि. 703 मि. 701 मि.	0.03 0.01 0.02 0.01 0.02	चाही 2 जाव 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 बारानी 2 बारानी 2	
		किता 5	0.09 है.		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...2.6.1972 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
 उपस्थित अधिकारी
 जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)
 जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इत्दादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबदा दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 238/2022

निर्णय दिनांक : 26.10.2023

1. सीताराम पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द
2. रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द
3. रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द
4. कैलाशचन्द पुत्र मंगलचन्द

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 222 के खसरा नम्बर 696 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 709 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

0.53 हेक्टेयर का लकारसमा व खाई निकाला जाता है।
 कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	696	0.99	बाराणी 2	कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5, राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5, रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5, रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5, सीताराम पुत्र मंगलचन्द हि0 1/5 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
	698	0.30	बाराणी 2	
	699	0.36	चाही 2 जाव 2	
	701	0.08	बाराणी 2	
	703	0.05	बाराणी 2	
	704	0.33	चाही 2 जाव 2	
	706	0.23	चाही 2 जाव 2	
	708	0.48	चाही 2 जाव 2	
	709	0.53	चाही 2 जाव 2	
कुल कित्ता	9	3.35		

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित ख.न.	प्रस्तावित रकबा	किस्म	नक्शों में रंग
1.	कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	699 मि.	0.0875	चाही 2 जाव 2	
		703 मि.	0.04	बाराणी 2	
		704 मि.	0.29	चाही 2 जाव 2	
		706 मि.	0.23	चाही 2 जाव 2	
		कित्ता 4	0.6475		
2.	राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	696 मि.	0.49	बाराणी 2	
		698 मि.	0.13	बाराणी 2	
		699 मि.	0.0275	चाही 2 जाव 2	
		कित्ता 3	0.6475		
3.	रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	699 मि.	0.1250	चाही 2 जाव 2	
		704 मि.	0.02	चाही 2 जाव 2	
		701 मि.	0.0325	बाराणी 2	
		708 मि.	0.47	चाही 2 जाव 2	

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		किता 4	0.6475		
4.	रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	701 मि. 699 मि. 709 मि. 709 मि.	0.0275 0.12 0.35 0.15		
		किता 4	0.6475		
5.	सीताराम पुत्र मंगलचन्द जाति कुम्हार (कुमावत) सा. देह	696 मि. 698 मि.	0.50 0.17	बारानी 2 बारानी 2	
		किता 2	0.67		
6.	कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, राधेश्याम पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, रामकल्याण पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, रामप्रसाद पुत्र मंगलचन्द हि0 1/4, जाति कुम्हार सा. देह	709 मि. 708 मि. 704 मि. 703 मि. 701 मि.	0.03 0.01 0.02 0.01 0.02	चाही 2 जाव 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 बारानी 2 बारानी 2	
		किता 5	0.09 है.		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपरोक्त अधिकारी
जयपुराहिदीय (सांगानेर)